महेन्द्र कुमार बनाम श्रवण आदि मु.नं. 42/2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.9.24	पत्रावली पेश। पक्ष उपस्थित प्रत्यर्थी पत्रावली पर आदेश दिनांक 18.9.24 को पेश हो। RP	
18.9.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जो निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय मन खुला सुनाया गया। पत्रावली केस मुताबिक होकर नकल से कर होकर बाद तरतीब रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो। RP भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ...

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 42/2013

1 महेन्द्र कुमार उम्र 35 साल पुत्र श्री प्रहलाद जाति नायक निवासी ग्राम पालवास तहसील व जिला सीकर राज.।

2 रामसिह फौत

2/1 गैंद कंवर पत्नी भंवर सिंह

2/2 माया कंवर पत्नी रामसिंह

2/3 देवसिंह

2/4 नितिन सिंह

2/5 हर्ष सिंह अव्यस्क पुत्रगण स्व. रामसिंह जाति भाण्ड जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माया कंवर पत्नी रामसिंह समस्त जाति भाण्ड निवासीगण वार्ड 33 (पुराना) कोतवाली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रवण पुत्र मालचन्द उम्र 50 साल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर हाल रियाद जरिये मुख्तयार खास श्रीमती हेमन्त धर्मपत्नी श्रवण जाति मीणा उम्र 45 साल निवासीनी कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर।

2 जिनकू (फौत नाम हजफ)

3 गोपाल पुत्र घीसाराम

4 धूड़ाराम पुत्र स्व. नानूनराम (नाम हजफ)

5 गीगाराम पुत्र स्व. नानूनराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण पालवास तहसील व जिला सीकर।

6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांकित 09.08.2012
सहायक कलेक्टेर मु. सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री लोकेश कुमार सहल आर.ए.एस. आवेदन संख्या
107/2012 बउनवानी श्रवण बनाम जिनकू आदि
आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसार्णार्थ अन्तर्गत
धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 543/457, 544/457, 545/457, 368 वाके ग्राम पालवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अर्थात अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 19.02.1994 को वादग्रस्त कृषि भूमि प्रदत नहीं की नाही प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 368 रकबा 2.00 हैक्टेयर वाके ग्राम पालवास की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्रदत्त की। नाही इस प्रकार प्रदत करने का कोई कानूनी प्रावधान है। प्रार्थी ने कूटरचित अवैध तथाकथित इकरारनामा के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरित वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 19.02.1994 को खसरा संख्या 545, 456, 455, 457 के 1/3 भाग का प्रार्थी को कब्जा नहीं दिया गया। नाही कब्जा दिया जाना संभव था। प्रार्थी ने नातो टिनशेड बनवाया नाही कभी वादग्रस्त भूमि को काश्त किया। इन कृषि भूमि खसरा संख्या 543/457, 544/457, 545/457 वाके ग्राम पालवास के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज खातेदार काश्तकार रहे है जिन्होंने अपने कब्जा काश्त खातेदारी की भूमियों को जरिये पंजिकृत विक्रय–पत्र बेचान करके कब्जा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 एवं हेमाराम पुत्र हजारी को वास्तविक एवं व्यवहारिक संभला दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अनुसुचित जाति के व्यक्ति है जिस कारण धारा 42 से प्रतिबंधित होने के कारण नातो अदला बदली की जा सकती है ना ही एक दूसरे के पक्ष में विक्रय किया जा सकता है यदि ऐसा कोई विक्रय अथवा अदला बदली है तो वह प्रारम्भ से ही शुन्य है ना ही अपंजीकृत, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकता है। इसलिए जब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ही पोषणीय नहीं है उस स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मय खर्चा खारिज किया जाने योग्य है। नाही रिकार्डेड काबिज खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है

पू.प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

कि ' जो अनुतोष अन्तिम स्तर पर भी प्रदान नहीं किया जा सकता उक्त वादपत्र के निर्णय एवं फैसला तक प्रारम्भिक स्तर पर भी कोई अस्थायी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता अर्थात वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर अनुसुचित जनजाति का व्यक्ति होते हुए अपंजीकृत कूटरचित इकरारनामा के जरिये खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का मुख्य अनुतोष प्राप्त करने का वादपत्र है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का प्रतिबन्ध होने के कारण प्रार्थी का वादपत्र कभी भी डिक्री नहीं हो सकता ओर यदि तथाकथित इकरारनामा सत्य एवं एक ही जाति के व्यक्तियों (अनुसुचित अथवा अनुसुचित जनजाति) के मध्य होता तो भी राजस्व न्यायालय अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। नाही कब्जा की अदला बदली की जा सकती है फिर भी विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड काबिज खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 'आरबीट्रेरी' होने के कारण अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा बेच दिया गया है यदि अनुबन्ध पत्र दावे में अवैध एवं शून्य साबित होता है तो पक्षकार पूर्ववत स्थिति में पहुचते है चूंकि यदि यह माना जाए कि पक्षकारों का अनुबन्ध विधि के विपरित है अथवा दस्तावेज फर्जी है तो पक्षकार पूर्व स्थिति में जाने चाहिए जो दावे में तय होगा। पक्षकारों द्वारा भूमि का अन्तरण किया जा रहा है एवं विक्रय विलेख निष्पादित किए जा चूके है जो वाद बाहुल्यता को बढ़ा रहा है अतः ऐसे में सभी पक्षों के हित में है कि वाद में उक्त विलेख की स्थिति शीघ्र निर्णित हो। अदला बदली हुई नहीं है एवं खसरा नम्बर 368 उनके द्वारा नहीं लिया है यह स्थिति वाद में स्पष्ट हो सकेगी कुछ अप्रार्थी चूंकि भूमि विक्रय कर चूके है अतः नए क्रेता की समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक है कि 19.02.1994के अनुबन्ध के भाग्य का

निर्णय विधिवत हो ताकि पक्षकारों के विवाद का निपटारा हो सके इसलिए इस स्थिति में चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय विलेख रजिस्टर्ड कराए जा चुके है जो इस तथ्य को इंगित करता है कि पक्षकार बिना सही स्थिति के निर्धारण के अन्तरण करना चाहते है यदि इसमें पक्षों ने अज्ञानतावश इस प्रकार का अनुबन्ध किया है तो संबंध में निर्णय आवश्यक है जो वाद में ही संभव है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 543/457, 544/457, 545/457 वाके ग्राम पालवास के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज खातेदार काश्तकार रहे है जिन्होंने अपने कब्जा काश्त खातेदारी की भूमियों को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र बेचान करके कब्जा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 एवं हेमाराम पुत्र हजारी को वास्तविक एवं व्यवहारिक संभला दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अनुसुचित जाति के व्यक्ति है जिस कारण धारा 42 से प्रतिबंधित होने के कारण नातो अदला बदली की जा सकती है ना ही एक दूसरे के पक्ष में विक्रय किया जा सकता है यदि ऐसा कोई विक्रय अथवा अदला बदली है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य है ना ही अपंजीकृत, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकता है। इसलिए जब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ही पोषणीय नहीं है उस स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मय खर्चा खारिज किया जाने योग्य है। ना ही रिकार्डेड काबिज खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो अनुतोष अन्तिम स्तर पर भी प्रदान नहीं किया जा सकता उक्त वादपत्र के निर्णय एवं फैसला तक प्रारम्भिक स्तर पर भी कोई अस्थायी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता अर्थात वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर अनुसुचित जनजाति का व्यक्ति होते हुए अपंजीकृत कूटरचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इकरारनामा के जरिये खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का मुख्य अनुतोष प्राप्त करने का वादपत्र है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का प्रतिबन्ध होने के कारण प्रार्थी का वादपत्र कभी भी डिक्री नहीं हो सकता ओर यदि तथाकथित इकरारनामा सत्य एवं एक ही जाति के व्यक्तियों (अनुसुचित अथवा अनुसुचित जनजाति) के मध्य होता तो भी राजस्व न्यायालय अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। ना ही कब्जा की अदला बदली की जा सकती है फिर भी विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड काबिज खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर